संख्या: 16/2017/1589/12-2-2017-8/2017

प्रेषक,

बी0 राम शास्त्री,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 मई, 2017

विषय: प्रमाणित बीजों पर अनुदान दिये जाने की योजनान्तर्गत धान, गेहूँ, जौ एवं तिल फसलों के बीजों पर प्रोत्साहन हेतु कृषकों को उन्नतशील प्रजातियों पर विशेष अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: एस0एफ0/191 टी/प्रमा0बीज वितरण/ 2017-18 दिनांक 05 मई, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में धान, गेहूँ, जौ एवं तिल फसलों के आच्छादन में वृद्धि तथा उत्पादन एवं उत्पादकता बढाने के दृष्टिगत उन्नतशील प्रजातियों के प्रमाणित बीजों के विस्तार हेतु कृषकों को धान, गेहूँ, जौ एवं तिल बीजों को क्रय करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017-18 में कृषकों को निम्नवत विशेष अनुदान अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(रूपये/कुंतल)

फसल का नाम	प्रमोशनल (10 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियॉ)	मेन्टीनेन्स(10 वर्ष से अधिक तथा 15 वर्ष तक की अधिसूचित प्रजातियॉ)	फेज आउट (15 वर्ष से अधिक की अधिसूचित प्रजातियॉ)
धान, गेहूँ एवं जौ	400	200	शून्य
तिल के विशेष जनपद (झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं फतेहपुर)	तिल की समस्त प्रजातियों पर उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा निर्धारित विक्रय दरों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान मूल्य का 40 प्रतिशत या रूपये 5000/- प्रति कुंतल, जो भी कम हो, देय होगा।		

3. प्रदेश द्वारा केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत देय अनुदान तथा राज्य सरकार से देय विशेष अनुदान बीज के मूल्य के 50 प्रतिशत की सीमा तक ही उपलब्ध कराया जायेगा किन्तु तिल के विशेष जनपदों (झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

हमीरपुर, महोबा, बांदा, सोनभद्र, मिर्जापुर एवं फतेहपुर) में तिल की समस्त प्रजातियों पर उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम द्वारा निर्धारित विक्रय दरों पर राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान मूल्य का 40 प्रतिशत या रूपये 5000 प्रति कुंतल, जो भी कम हो, देय होगा।

4. उक्त योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में राज्य सेक्टर से प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रमाणित बीजों के वितरण पर कुल प्रस्तावित विशेष अनुदान की धनराशि रू0 36.00 करोड का व्यय होने का अनुमान है। वर्ष 2017-18 में खरीफ में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम के लक्ष्य निर्धारित कर दिये गये हैं एवं रबी 2017-18 के लक्ष्य भी अनुमानित किए गए हैं। आगामी वर्षो में खरीफ एवं रबी में भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम में लक्ष्यों के आधार पर आगामी वर्षो में योजनान्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की जायेगी। उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्रमाणित बीज के मद में प्राविधानित धनराशि से व्यय की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार मांग के माध्यम से आय-व्ययक में प्राविधान कराकर उससे व्यय किया जायेगा।

5. योजनान्तर्गत लाभार्थियों का विवरण कृषि विभाग की वेबसाइट पर डाला जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(बी0 राम शास्त्री)
विशेष सचिव।

संख्या: 16/2017/1589 (1)/12-2-2017 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट)- प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. वित्त नियंत्रक, उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
5. प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम, लखनऊ।
6. अपर कृषि निदेशक, बीज एवं प्रक्षेत्र, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in